श्रीहरिः

श्रीधर्मसंघ शिक्षामण्डल

सं

क्षि

प्त

परिचय

एवं

नियमावली

●

मंत्री—

श्रीधर्मसंघ शिक्षामण्डल

दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी

श्रीधर्मसंघ शिक्षामण्डल में अवकाश निम्नलिखित होंगे

चैत्र शुक्ल रामनवमी १ दिन

ज्येष्ठ शुक्ल निर्जला एकादशी १ दिन

आषाढ़ शुक्ल गुरुपूर्णिमा १ दिन

श्रावण शुक्ल द्वितीया स्वामी श्री करपात्री जयन्ती दिवस १ दिन

श्रावण शुक्ल नागपंचमी १ दिन

श्रावण शुक्ल रक्षाबन्धन श्रावणी १ दिन

भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी १ दिन

भाद्र कृष्ण कुशोत्पाटनी १ दिन

भाद्र शुक्ल अनन्तचतुर्दशी १ दिन

आश्विन कृष्ण मातृनवमी १ दिन

आश्विन कृष्ण महालया १ दिन

आश्विन शुक्ल द्वितीया से कार्तिक कृष्ण द्वितीया तक शारदावकाश

कार्तिक कृष्ण दीपमालिका २ दिन

कार्तिक शुक्ल यमद्वितीया १ दिन

कार्तिक शुक्ल हरिप्रबोधनी एकादशी १ दिन

माघ कृष्ण मकर संक्रान्ति १ दिन

(शेष कवर के तीसरे पृष्ठ पर)

धर्म संघ शिक्षा मंडल के संस्थापक
एवं वर्तमान प्रधान
पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज

धर्म संघ शिक्षा मंडल के प्रथम प्रधान
ब्रह्मीभूत जगद्गुरु शंकराचार्य
स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज

श्री धर्मसंघ शिक्षा मण्डल के प्रमुख अधिकारी

श्री धर्मसङ्घ शिक्षामण्डल दुर्गाकुण्ड, वाराणसी

स्थायी प्रधान	अनन्तश्री धर्मसम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज
उपाध्यक्ष	अनन्तश्री जगद्गुरु शङ्कराचार्य पुरीपीठाधीश्वर श्रीस्वामी निरञ्जन देवतीर्थ महाराज
मन्त्री	पूज्य स्वामी श्रीनन्दनन्दनानन्द सरस्वती जी महाराज
कोषाध्यक्ष	सेठ जनार्दन प्रसाद कानोड़िया, कलकत्ता
उपमन्त्री	पण्डित श्री उदयङ्कर जी [illegible]
सहायक मन्त्री	श्री रमागोविन्द त्रिपाठी

श्री धर्मसङ्घ महाविद्यालय, वाराणसी

प्रधान	अनन्तश्री धर्मसम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज
प्रबन्धस्वामी	श्री सेठ जनार्दन प्रसादजी कानोड़िया
मन्त्री	श्रीरामावतार गुप्त कलकत्ता
सहायक मन्त्री	श्री वृजेन्द्रकुमार गौड़

श्री धर्मसङ्घ महाविद्यालय, दिल्ली

अध्यक्ष	अनन्तश्री धर्मसम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज
उपाध्यक्ष	श्री स्वामी नरोत्तमाश्रम (मंत्री स्वामी) जी महाराज
कोषाध्यक्ष	श्री सेठ चुन्नीलालजी जयपुरिया
मन्त्री	पण्डित श्री हरिप्रकाश शर्मा, अवकाश प्राप्त मजिस्ट्रेट

सहायकमंत्री व प्रधानाचार्य आचार्य पण्डित श्यामलालजी शर्मा

श्री धर्मसङ्घ महाविद्यालय, वृन्दावन

इस विद्यालय का समस्त व्यय-भार धर्ममूर्ति श्रीसेठ हनुमान प्रसादजी धानुका स्वयं करते हैं और उन्हीं की देखरेख में विद्यालय छात्रावास चलता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री पण्डित राजबली द्विवेदीजी हैं।

विद्यादान की महिमा

'दानानामुत्तमं दानं विद्यादानं विदुर्बुधाः।' (गरुड़पुराण)
(विद्वान् लोग दानों में विद्यादान को सर्वोत्तम दान समझते हैं।)

'धर्माधर्मं न जानन्ति विद्यादानबहिष्कृताः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन विद्यादानं प्रयच्छताम्।' (वाराहपुराण)

(विद्या से वञ्चित लोगों को सर्वकल्याण-मूलभूत धर्म एवं सर्वानर्थ-मूल अधर्म का ज्ञान नहीं हो सकता, अतः आस्तिकों को पूर्ण प्रयत्नपूर्वक विद्यादान देना चाहिये।)

'वेदशास्त्ररहस्यानां यदि नैव नृपोत्तम। ततोऽज्ञानतमोऽन्धस्य काऽवस्था जगतो भवेत्।' (वह्निपुराण)

(यदि लोगों को वेदशास्त्रों के रहस्य का ज्ञान न कराया जाय, तो अज्ञानान्धकार से अन्धे होकर भटकने वाले संसार के लोगों की क्या दशा होगी ?)

इहामुत्रसुखक्षेमाहुर्विद्याधनं धनम्। विद्यया मतया युक्तो विमुक्तिं याति संयमी॥ विद्यया च सुखं गच्छेद्विद्यया च परां गतिम्। विद्या प्रतिष्ठा भूतानां विद्यायोनिश्च देवता। तस्माद्विद्याप्रदो लोके सर्वदः प्रोच्यते बुधैः॥' (गरुड़पुराण)

(इस लोक तथा परलोक में सुख, क्षेमप्रद होने से विद्यारूप धन ही मुख्य और श्रेष्ठ धन है। सद्विद्या से युक्त पुरुष संयमी होकर मुक्ति पा लेता है। विद्या से ही सुख, स्वर्गादि लोकों की भी प्राप्ति होती है, विद्या ही सब जीवों का आश्रय है, विद्या ही देवत्व का कारण है। इसलिए विद्वज्जनों ने विद्यादान करने वाले को सर्वस्वदान करने वाला कहा है।)

'विद्यादानात्परं दानं त्रैलोक्येऽपि न विद्यते।' (देवीपुराण)
(विद्यादान से बढ़कर श्रेष्ठ दान तीनों लोकों में भी नहीं है।)

श्री धर्मसङ्घ शिक्षामण्डल के प्रधान मन्त्री का आस्तिक जनता से निवेदन

प्रिय धर्मात्मन् ।

अखिलभारतीयधर्मसंघ ने परम पुण्यभारत भूमि में धर्म, धार्मिक एवं आस्तिक समाज के संगठन, पुनर्जागरण तथा जन सामान्य के उद्-बोधन का प्रयास किया है। धर्म, शास्त्र-मर्यादा, मन्दिर, धर्मसंस्थान-मर्यादा संरक्षण, वर्णाश्रम-धर्म, नित्य नैमित्तिक धर्म, उपनयन, विवाहादि संस्कार तथा सदाचार पालन आदि विविध क्षेत्रों में निरन्तर प्रयास चल रहा है।

किन्तु इन सबका मूल है शिक्षा। अखिलभारतीय धर्मसंघके मूल-संस्थापक भारत हृदय सम्राट परमवीतराग अनन्त श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने भारतीय शिक्षा पद्धति को सरकारी एवं राजनीतिक प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिये निरन्तर उद्घोष किया। राजनीति: आज राम की तो कल रावण की सत्तारूढ़ हो सकती है, यदि प्रत्येक राजनीतिक सत्ता के साथ शिक्षा बदलती जायेगी तो राष्ट्र की अपनी. शिक्षा, संस्कृति एवं सभ्यता न रहेगी और न ही कुछ समयानन्तर राष्ट्र के वास्तविक स्वरूप का पता ही चल सकेगा। अतः हमारे पूर्वजों ने पांच सौ वर्ष के मुसलमानी शासन काल तथा दो सौ वर्षों के अंग्रेजी शासन काल में अपनी प्राचीन शिक्षा को स्वतन्त्र और अक्षुण्ण बनाये रखा और उसी का परिणाम है कि आज भी भीषणतम राजनीतिक झञ्झावातों, विप्लवों और जनसम्मर्दों के अनन्तर भी हिन्दू जाति बच निकली।

किन्तु मुसलिम तथा अंग्रेजी शासन में इस पवित्र राष्ट्र की जो क्षति नहीं हुई, आज तथाकथित स्वतन्त्र भारत में उसके समूलोन्मूलन का भय

उपस्थित हो गया। अंग्रेज के कूटनीतिक बीज फल-फूल रहे हैं। अंग्रेज का मानसपुत्र काला अंग्रेज भारत माता की छाती पर अब भी अंग्रेजी भाषा, गुण तथा शिष्टाचार को लादना चाहता है। धर्म की बात तो दूर रही अब साधारण आचार, व्यवहार, खान पान, वेष-भूषा भी सर्वथा अनियन्त्रित हो गये। इसके अतिरिक्त अनुशासनहीनता, उद्दण्डता तथा नियमभङ्ग प्रतिदिन के शिरःशूल बन गये हैं, प्रायः सभी प्रौढ़ विशेषज्ञ शिक्षा शास्त्री किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं और किसीको सन्मार्ग नहीं सूझता।

कारण वर्तमान राजनीति धर्महीन है। 'विद्या धर्मेण शोभते'। धर्म से हीन व्यक्ति पशु ही नहीं अपितु राक्षस से भी गया बीता है। वह पड़ोसी को ही नहीं, अपने समाज, राष्ट्र तथा विश्व को भी अपने स्वार्थ के निमित्त नष्ट करने में नहीं चूकता। अतः राष्ट्रीय शिक्षा को धर्मानुकूल बनाना, भारतीय शास्त्रों की प्रदर्शित पद्धति पर चलना शिक्षक शिक्षित, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा विश्व के कल्याण का एकमात्र उपाय हो सकता है। सच्छिक्षा ही सद्विचार और सद्बुद्धि को जन्म दे सकती है और उसी से ही सदाचार और सत्समाज को प्रश्रय मिल सकता है।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये संवत् १९९८ में धर्मसंघ महाविद्यालय काशी की स्थापना हुई। पुनः संवत् २००० में दिल्ली शतमुख-कोटि-होमात्मक यज्ञ के तत्काल अनन्तर दिल्ली धर्मसंघ महाविद्यालय की स्थापना की गई और उसी वर्ष धर्मसंघ महाविद्यालय वृन्दावन की भी स्थापना हुई। इन सब संस्थाओं को एक सूत्रबद्ध करने के लिए संवत् २००१ में श्री धर्मसंघ शिक्षामण्डल की स्थापना करके संवत् २००२ में उसे विधिवत् रजिस्टर्ड करवा लिया गया और साङ्गोपाङ्ग संविधान तैयार किया गया। तब से लेकर आज तक ये सभी संस्थाएं संस्कृत वाङ्मय और वेदशास्त्र के अध्ययन, प्रचार परिपालन में निरन्तर क्रियाशील हैं और जहां पूज्यचरण अनन्त श्री स्वामी करपात्री जी महाराज

एवं अनन्तश्री ज्योतिष्पीठाधीश्वर शङ्कराचार्य पूज्यपाद श्रीस्वामी कृष्णबोधाश्रमजी महाराज के सतत प्रयत्नों से वृहत् स्मार्त एवं श्रौत यज्ञों की शृङ्खला भारत के कोने-कोने में व्याप्त हुई, वहां संस्कृत वाङ्मय के लिए भी शिक्षा संस्थाओं की प्रवृत्ति जग गई। फलस्वरूप वाराणसेय गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज को संस्कृत विश्वविद्यालय का रूप प्राप्त हुआ और कितने ही विश्वविद्यालयों ने संस्कृतको प्रश्रय दिया। संस्कृत अध्यापकों के लिए भी अंग्रेजी शिक्षकों के स्तर पर वेतनक्रम निश्चित हुए। किन्तु इस जन जागरण के पीछे भावना वही राजनीतिक और पाश्चात्य पद्धति का भूत संलग्न रहा। जिसके फलस्वरूप समाजवादी, साम्यवादी भावनाओं से प्रेरित आन्दोलन, मांगें, घेराव तथा प्रदर्शन और संस्थाएं बन्द करने कराने का विषाक्त प्रायः सर्वत्र व्याप्त हो गया। कारण स्पष्ट है, भारतीय पद्धति पर आधारित गुरु-शिष्य के परम पुनीत सम्बन्ध की उपेक्षा की गयी, धर्म और धर्मशास्त्रों को नगण्य समझकर राजनीतिक नेताओं के कुप्रचार, गठबन्धन आदि षडयन्त्रों से शिक्षा व्याप्त हुई और देवता के मन्दिर में भी असुर को स्थापित कर दिया गया।

अतः सभी आस्तिक समाज एवं राष्ट्रहित-चिन्तक महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि क्षुद्र स्वार्थों और मतभेदों को भुलाकर श्री धर्मसंघ शिक्षा मण्डल द्वारा प्रचालित एवं प्रसारित शिक्षा पद्धति का पुनर्जागरण प्रोत्साहन तथा परिपालन करें, करावें, थोड़े ही समय में इसके सत्परिणाम राष्ट्र के सामने आ सकते हैं। अन्यथा वर्तमान प्रणाली केवल इन विश्वविद्यालयों को ही नष्ट न करेगी प्रत्युत समस्त राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के अभ्युदय और निःश्रेयस को संकट में डाल देगी।

उद्देश्य

श्रीधर्मसंघ शिक्षा मण्डल का उद्देश्य है कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। किसी व्यक्ति अथवा उसके

परिवार पर शिक्षा का एक पीढ़ी का व्ययभार भी शिक्षा के मूल पर कुठाराघात है। अतः शिक्षा केवल निशुल्क ही नहीं अपितु शिक्षार्थी के भरण पोषण का भी भार शिक्षा ग्रहणकाल में शिक्षार्थी अथवा उसके परिवारवाले पर न पड़े।

शिक्षा प्राप्त करते समय आर्थिक उद्देश्यों को सामने न रखा जाय अन्यथा शिक्षापर उसका कुप्रभाव अवश्य पड़ेगा। विद्या का एकमात्र उद्देश्य विद्या प्राप्ति और तदनुसार पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ काम और मोक्ष हो।

अर्थ, काम और मोक्ष सभी धर्म के आधीन हैं। व्यष्टि-समष्टि, व्यक्ति-समाज तथा समस्त विश्व धर्म पर ही आश्रित है। अतः शिक्षा केवल धर्म प्रधान ही न हो, अपितु आचार व्यवहार में भी धर्म का पालन कराया जाय। अतः शिक्षा के साथ दीक्षा (स्वधर्म पालन) और सदाचार का विशेष ध्यान दिया जाना अनिवार्य है। 'आचार हीनं न पुनन्ति वेदाः'। आचार ही समस्त धर्मों का मूल है, इसकी आवश्यकता लाभ और अनिवार्यता विद्यार्थी को हृदयङ्गम कराने की आवश्यकता है, इसी लिए विद्या अध्ययन के साथ-साथ प्रतिदिन के जीवन व्यवहार में इनका अभ्यास कराना शिक्षा मण्डल के महाविद्यालयों में अनिवार्य है।

ब्राह्मण का निष्कारण षडङ्गवेद का अध्ययन, मनन, निदिध्यासन कर्तव्य है, यह भारत राष्ट्र की अमूल्य निधि है, जिसे हमारे पूर्वज महर्षियों ने लक्षाब्दियों से सुरक्षित रखकर हमें धरोहर के रूप में सौंपा। इस शेवधि की रक्षा से न केवल हमारी रक्षा होगी परंच सारा विश्व सुख शांति का उपयोग कर सकेगा। इसलिए श्रीधर्मसंघशिक्षामण्डल के सभी पाठ्यक्रमों में वेदाध्ययन श्रौतस्मार्तयज्ञ, समिदाधान, सन्ध्या, बलिवैश्वदेव तथा ब्राह्मण बालकों के लिए कर्मकाण्ड, पुराणादि की शिक्षा का विधान है। और वे जीविकोपार्जनार्थ ही नहीं अपितु, 'ज्योतिषं चक्षुः' वेदपुरुष का नेत्र स्थानीय ज्योतिष शास्त्र है, उसकी शिक्षा

का भी विधान है। शिक्षा मण्डल की योजनानुसार तो स्वतन्त्र ज्योतिष विद्यालय की स्थापना और एक सर्वांग-पूर्ण आधुनिकतम नक्षत्रीक्षण दूरवीक्षण (टेलिस्कोप) यन्त्रों से सुसज्जित वेधशाला निर्माण है, जिसके लिए धर्मनिष्ठ उद्बुद्ध शिक्षा प्रेमी दानदाताओं की उदार सहायता की आवश्यकता है।

इनके अतिरिक्त लौकिक व्यवहारोपयोगी आधुनिक विज्ञान-भौतिकी रसायन शास्त्र, आयुर्वेद, कला, स्वास्थ्यशास्त्र, गणित, भूगोल, खगोल, नक्षत्र, गणित, इतिहास आदि कितने ही क्षेत्रों में विस्तार अपेक्षित एवं अनिवार्य है।

वर्तमान में शिक्षामण्डल अपने निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार अपने सम्बद्ध विद्यालयों के शिक्षार्थियों की परीक्षाओं का सञ्चालन नियमन करता है, और उन्हें अधिकाधिक उपयोगी बनाने में प्रयत्नशील है। शिक्षामण्डल के काशी, दिल्ली, वृन्दावन आदि स्थानों में स्थित विद्यालयों से अब तक प्रायः सहस्रों विद्यार्थी शिक्षा पा चुके है जिनमें-वाचस्पति, शिरोमणि, रत्न और बालबोधिनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा तथा धार्मिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। परीक्षाओं की सरकारी मान्यता का उद्देश्य अपने सिद्धान्त के अनुकूल न होने के कारण विद्यार्थियों को बाहर की सरकारी मान्यता प्राप्त परीक्षाएं भी दिलाने की सुविधा दी गयी है, जिसके परिणाम स्वरूप गत १० वर्षों में प्रायः विद्यार्थियों ने आचार्य, शास्त्री मध्यमादि परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। अभी तक सरकार तथा सरकारी शिक्षा विभाग से कोई सहायता इस सम्बन्ध में नहीं प्राप्त की गई। हमारी समस्त संस्थाएं अपने क्रम से सुचारु रूप से चल रही हैं। धर्मसंघ महाविद्यालय गायघाट का संचालन बन्द कर उसे दुर्गाकुण्ड महाविद्यालय में ही विलीन कर दिया गया है।

हमारी आवश्यक योजनाओं की एक झलक पीछे दी गयी है। गतवर्ष रामनवमी के पुनीत अवसर पर धर्मसम्राट पूज्य पाद अनन्त श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने श्री धर्मसङ्घ शिक्षा मण्डल के अन्त-

...न ब्रह्मचर्याश्रम का उद्घाटन किया । यह आश्रम ब्रह्मावर्त में शिक्षा-मण्डल के [illegible] में चल रहा है । इसमें [illegible] ब्रह्मचारी पर लग-भग २०) प्र.तमास् [illegible] होता है । शिक्षामण्डल के पास आप के साधन सीमित हैं इसके लिए एक स्थायी कोष की [illegible] आवश्यकता है । अभी तक [illegible] की सहायता [illegible] इसके कार्य सञ्चालन में सुविधा मिलती रही है इस आश्रम के लिए आपकी विशेष सहायता की आवश्यकता है ।

गत वर्ष शिक्षामण्डल के अन्तर्गत 'करपात्र शोध संस्थान' की स्थापना हुई है । इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य प्राचीन भारतीय साहित्य पर सुव्यवस्थित शोध की सुविधा प्रदान करता है । इस संस्थान ने अपना कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है ।

हमारी योजनाओं की आपूर्ति के लिए आप सभी धार्मिक आस्तिक महानुभावों की उदार सहायता और सहयोग की आवश्यकता है । उपरि लिखित मार्गों में से किसी एक अथवा अधिक मार्गों में आप की सहायता अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त आप निम्नलिखित विधि से अपनी यथा-शक्य सहायता को धर्मसंघ शिक्षा मण्डल मन्त्री के नाम भेज सकते हैं । कार्यालय से विधिवत रसीद आपको प्राप्त होगी तथा इस जीवन और परलोक में भगवत्कृपा, धर्मकृपा, सुख शान्ति और कल्याण की प्राप्ति होगी । इस प्रकार आप एक संस्था मात्र की सेवा ही नहीं करेंगे प्रत्युत भारत राष्ट्र तथा हिन्दू समाज के निर्माणयज्ञ में आपकी पुण्य आहुति आपके, हिन्दू समाज के तथा सम्पूर्ण राष्ट्र के उत्थान, संगठन और कल्याण का साधन बनकर विश्व शान्ति स्थापन में साधक होगी । सारांश इस समस्त निर्माण तथा सञ्चालन में न्यूनतम एक करोड़ रुपये की आवश्यकता है एतदर्थ श्रीधर्मसंघ शिक्षामण्डल ट्रस्ट की स्थापना की गयी है ।

आपकी सहायता सहयोग के विभाग :—

१—दर्शन, धर्मशास्त्र, साहित्य, वेद, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि में किसी विशिष्ट विद्वान की नियुक्ति पर मासिक । वार्षिक दक्षिणा की व्यवस्था करना ।

२—एक, दो अथवा अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा, भोजन, पुस्तकें आवासादि के निमित्त वृत्ति के लिये अनुदान देना ।

३—यज्ञशाला, गोशाला, अतिथिशाला, वेदशाला, वेदानुसन्धान-शाला, प्रचारविभाग, पुस्तकालयादि में भवन निर्माण अथवा एक कालिक, वार्षिक [illegible] सहायता देना ।

४—अपने व्यापार में धर्मादा, धर्मपेटिका स्थापन, विवाहादि उत्सवों में श्री धर्मसंघशिक्षामण्डल के लिये अनुदान निकालना ।

५—कृषि में, धर्म, देवता, का भाग निकालकर श्रीधर्मसंघ शिक्षा मण्डल के सहायतार्थ देना ।

६—अपने ग्राम, जिला, नगर, आदि अपने प्रभाव क्षेत्र के विद्यालयों पाठशालाओं को श्रीशिक्षामण्डल से सम्बद्ध कर इसकी परीक्षायें दिलाना पाठ्यक्रम चलाना तथा तदनुसार विद्यार्थियों को दीक्षित करना ।

७—नूतन विद्यालय स्थापित कर श्रीधर्मसंघ शिक्षा मण्डल से सम्बद्ध करना ।

८—अपने अधिकार में स्थिर चल सम्पत्ति का अनुदान देना अथवा दिलाना और यथाशक्य मासिक सहायता श्रीशिक्षा मण्डल के कार्यक्रम सञ्चालनार्थ देना ।

९—ब्रह्मचर्याश्रम के लिए विशेष सहायता देना । एक या दो या इससे अधिक ब्रह्मचारियों का मासिक व्यय वहन करना।

सर्वेषामेव दानानां विद्यादानं विशिष्यते'

इस मार्ग में दिया दान अनन्त गुणित फल देता है । आपके व्यक्तिगत कल्याण साधन के अतिरिक्त कल्पवृक्ष के समान निरन्तर उत्तरोत्तर वृद्धि द्वारा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तथा विश्वकल्याण का सम्पादन करेगा ।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ।।

इसी मङ्गलाशासन नारायण स्मरण के साथ

नन्दनन्दनानन्द सरस्वती
मन्त्री
श्रीधर्मसंघ शिक्षामण्डल, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी

अनन्त श्री विभूषित पूज्यपाद

श्री स्वामी करपात्री जी महाराज

का

शुभाशीर्वाद

सद्विद्या से ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। अन्य अनेक समस्याओं का समाधान भी सद्विद्या द्वारा अनायास ही होता है। यद्यपि सम्प्रति स्कूलों, कालेजों, यूनिवर्सिटियों द्वारा शिक्षा का विस्तृत प्रबन्ध हो रहा है, सरकारी, गैर सरकारी शक्तियां इस दिशा में प्रयत्नशील है, तथापि भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति का प्रचलित प्रयास के द्वारा दिनादिन ह्रास ही हो रहा है। कारण स्पष्ट है। भारतीय जीवन का प्रत्येक दृष्टिकोण जिस अपौरुषेय वेद एवं तदनुगामि्त आर्ष-धर्म-ग्रन्थों के द्वारा निर्दिष्ट मार्गसे स्पष्ट होते हैं, उनकी शिक्षा आज सर्वथा लुप्त होती जा रही है। फलतः शांतिपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक, आधिक राजनीतिक सभी क्षेत्रोंसे भारतीयता नष्ट होती जा रही है। स्वराष्ट्र, स्व-राज्य, स्वातन्त्र्य आदि का महत्व भी तभी तक रहता है, जबतक उसमें स्वत्व रहता है। स्वत्व के नष्ट हो जाने पर उसका कुछ महत्व नहीं रह जाता। वर्तमान शिक्षा की इन्हीं सब न्यूनताओं को देखकर उसकी पूर्ति के लिए धर्मसङ्घ शिक्षा मण्डल स्थापित किया गया है। आस्तिक वि-द्वानों एवं सज्जनों का सहयोग इस कार्य में अवश्य होना चाहिए।

————

श्रीहरि:

विद्या धर्मेण शोभते

श्रीधर्मसंघ शिक्षामण्डल, काशी

आदर्श शिक्षा

मानव जीवन के पुरुषार्थों में सर्वप्रथम स्थान धर्म का है और अपने यहां का-सिद्धान्त है, "विद्या धर्मेण शोभते"। शिक्षा द्वारा अर्थ और काम के सेवन पर धर्म का नियन्त्रण और सब के अन्तिम लक्ष्य मोक्ष-प्रतिपादन से मनुष्य में उच्छृंखल पाशविक वृत्तियां घर नहीं करती। फल यह होता है कि इस प्रकार के अभ्यास से मनुष्य आसुरी वृत्तियों के वर्जन, पुरस्सर दैवी सम्पद् का सेवन कर परम कल्याण की प्राप्ति करता है। सद्विद्या से ही सद्बुद्धि, सदिच्छा, सत्प्रयत्न और उससे सफलता मिलती है। सद्बुद्धि की महिमा से ही प्राणी इन बड़े बड़े पुरुषार्थों को सरलता एवं सुविधा से प्राप्त करता है तथा दरिद्रता, दीनता, परतन्त्रता आदि बड़ी से बड़ी विपत्तियों का भी निवारण कर सकता है। आध्यात्मिक, धार्मिक, राष्ट्रिय एवं अन्ताराष्ट्रिय सब प्रकार के अभ्युदय का मूल एकमात्र सच्छिक्षा है। धर्म, कर्म, सभ्यता संस्कृति के रक्षण में भी शिक्षा की ही प्रधानता है। अनुकूल शिक्षा से इनकी रक्षा और प्रतिकूल शिक्षा से हानि होती है।

आज के पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षा प्राप्त वर्ग को धर्म के नाम से ही चिढ़ है। धर्म का अंकुश हटाकर अर्थ और काम को पूर्ण उच्छृंखलता प्रदान कर दी गयी है, परन्तु इतने पर भी उनकी प्राप्ति दुर्लभ हो रही है। शिक्षित बेकारों की प्रतिदिन बढ़ती हुई संख्या ही इसका प्रमाण

है कि अर्थसम्पादन में वर्तमान शिक्षा कितनी असफल हुई है। भ्रष्टाचार और दुराचार हमारे काम को कलुषित कर रहे हैं। शारीरिक बल का ह्रास बराबर बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मोक्ष की तो बात ही क्या ? आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से आज हम अपने देशमें ही विदेशी बन गये हैं। अपनी सभ्यता, संस्कृति से घृणा और दूसरे की सभ्यता, संस्कृति के अनुगामी बन रहे हैं। यह बौद्धिक परतन्त्रता की दयनीय स्थिति है। अपने बालकों को जिस आशा से हमने विद्या पढ़ाने के लिए भेजा तथा जिनके पढ़ाने में अपनी कमाई का पुष्कल भाग व्यय किया, क्या वे हमारे बालक शिक्षित होकर हमारे अनुकूल बने ? क्या अपनी सभ्यता, संस्कृति तथा अपने पूर्वजों का अभिमान इनमें देखा जाता है ? सरकारी, अर्ध-सरकारी, तथाकथित राष्ट्रिय सभी प्रकार के विद्यालयों पर आज की दूषित विदेशी ढंग की शिक्षा प्रणाली की छाप लगी हुई है।

संस्कृत शिक्षा भी कलुषित हो रही है। विद्वानों ने धन के प्रलोभन में फंसकर विद्यादान एक व्यवसाय बना लिया है। परीक्षाओं के ऐसे प्रकार बना दिये गये हैं, जिनसे छात्रों में वास्तविक योग्यता नहीं आती। "विद्या ददाति विनयं" ऐसी कहावत है, पर आजकल विद्यार्थियों में जैसी उद्दण्डता, उच्छृंखलता बढ़ रही है, वह चिन्तनीय है। आश्चर्य तो यह है कि इस विनाशकारी वर्तमान शिक्षा के सहायक तथा प्रचारक हम स्वयं हो रहे हैं। इसके मायाजाल के मोह में पड़कर हिताहित का विचार छोड़कर, अपनी कमाई के करोड़ों रुपये हम स्वयं प्रति वर्ष अनर्थकारी पद्धति के प्रचार और विस्तार में खर्च कर रहे हैं। वेद शास्त्र आदि अपने प्राचीन सद्ग्रन्थों एवं ज्ञान की निधियों के ज्ञाताओं की संख्या घटती जा रही है। हमारे अनेक बहुमूल्य ग्रन्थ हमारे आक्रमणकर्ता शत्रुओं ने जलाकर नष्ट कर दिया। जो बचे हैं, अब उनकी अविवेकपूर्ण उपेक्षा करके हम उन्हें भी खत्म कर रहे हैं।

यह देश का दुर्भाग्य है। हमें अपने को और अपनेपन को नहीं भूलना है। अपने आदर्शों की रक्षा में ही हमारी रक्षा है, इसलिये सच्छिक्षा की व्यवस्था सर्वप्रथम होनी चाहिये।

शिक्षामण्डल की स्थापना

श्रीस्वामी करपात्री जी महाराज की प्रेरणा से इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम संवत् १९९८ में काशीमें धर्मसंघ महाविद्यालय की स्थापना हुई। इसमे वेद, वेदांग, धर्मशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, इतिहास, पुराण, साहित्य आदि के पठनपाठन की प्राचीन शैली के अनुसार व्यवस्था की गयी है। उसमें सरकारी सहायता न लेने का नियम रखा गया। यह अनुभव किया गया कि सरकारें शिक्षा पद्धति द्वारा अपना प्रचार करती है। शासनों के साथ शिक्षा-पद्धति भी बदलती रहती है। सरकारी सहायता लेने पर अपने सिद्धान्तानुसार शिक्षा देने की स्वतन्त्रता न रहेगी। संवत् २००० में दिल्ली में धर्मसंघ का तृतीय वार्षिक अधिवेशन तथा शतमुखकोटिहोमात्मक महायज्ञ हुआ। उसके अवशिष्ट धन से दिल्ली में धर्मसंघ महाविद्यालय की स्थापना हुई। उसी वर्ष कुछ लोगों के प्रयत्न से वृन्दावन में भी एक धर्मसंघ विद्यालय स्थापित हुआ। संवत् २००१ में काशी में धर्मसंघ का चतुर्थ महाधिवेशन तथा शतमुखकोटिहोमात्मक रुद्रमहायज्ञ हुआ। तब यह विचार चला कि इन सब विद्यालयों को एकता के सूत्र में बांधने के लिये कोई केन्द्रीय संस्था होनी चाहिये, जो सब के लिए नियम, पाठ्यक्रम आदि बनाये, परीक्षाओं की व्यवस्था करे, सब का निरीक्षण रखे और देश के विभिन्न भागों में ऐसे विद्यालय खोलने का प्रयत्न करे। इसकी योजना बनाने के लिए एक समिति नियुक्त हुई, जिसने "श्री धर्मसंघ शिक्षा मण्डल" का विधान तैयार किया। संवत् २००२ में उसकी रजिस्टरी हुई। तब से इसका कार्य बराबर चल रहा है।

इसका प्रधान कार्यालय काशी में रखा गया। श्रीकृष्णबोधाश्रम जी महाराज इसके आजीवन अध्यक्ष चुने गये।

कई वर्षों तक शिक्षामण्डल का काम धर्मसंघ विद्यालय, मीरघाट में चलता रहा, पर उसकी योजना देखते हुए एक विस्तृत स्थान की आवश्यकता प्रतीत हुई। बहुत खोज करने पर काशी में केदारखंड के भीतर माता दुर्गाजी के मन्दिरके सन्निकट एक रम्य भूमि मिल गयी, जो प्रायः सवा लाख रुपये में ले ली गयी। इसमें कुछ पुरानी कुटी मात्र पड़ी थी। ३४००० रुपया लगाकर इनका जीर्णोद्धार कराया गया। दो लाख से ऊपर की लागत के छात्रावास एवं भवन बन चुके हैं। छात्रावास मे लगभग सौ छात्रोंके लिए स्थान है। प्रार्थना, कथा, प्रवचन आदि के लिए बीच में लगभग एक हजार व्यक्तियों के बैठने योग्य एक बड़ा हाल है। इसका नाम "श्री सेठ सूरजमलकानोड़िया स्मृति भवन" रखा गया है। उसमें एक छोटा सा सुन्दर श्रीराम मन्दिर है। साधु महात्माओं के निवास के लिए ३५००० रुपये की लागत में श्री छोटेलाल कानोड़ियाकी दानशीला माता श्रीमती महादेवी की उदारता से एक सुन्दर अतिथिभवन बन गया है। श्री जगन्नाथ कानोड़िया की पत्नी, श्री रामनाथ कानोड़िया की माता, श्रीमती रुक्मिणी देवीने गृहस्थों के लिये भी एक अतिथिभवन बनवा दिया है। नवलगढ़ निवासी श्री केशरदेव सांगानेरिया तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती यमुनादेवी और श्रीनन्दलाल दारुका तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वसन्ती देवी की सहायता से एक आचार्य भवन भी बन गया है। इस भूमि के चारों ओर जो विस्तृत भूमि पड़ी है, उसे "काशीनगर सुधार ट्रस्ट" ने शिक्षामण्डल के लिए अपनी योजना में रख लिया है। इस प्रकार निकट भविष्य में अपनी योजना विस्तार के लिए कई एकड़ भूमि उपलब्ध हो जायेगी।

देश में वर्तमान शिक्षा-पद्धति अर्थकाम प्रधान है। शिक्षा मण्डल की शिक्षा पद्धति में धर्म को प्राधान्य दिया गया है। शास्त्रीय विषयों के

साथ अन्य विषयों का भी समावेश कर दिया गया है। प्रवेशिका, बाल बोधिनी रत्न, शिरोमणि और वाचस्पति, ये पांच मुख्य परीक्षायें हैं, जिन में कुल मिलाकर १६ वर्ष का समय लगता है। इन परीक्षाओं में वेद, वेदाङ्ग, व्याकरण, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, दर्शन, पुराणेतिहास, साहित्य, आयुर्वेद आदि विषयों की पढ़ाई होती है। इसमें वेद, ज्योतिष और धर्मशास्त्र का कुछ ज्ञान अनिवार्य रखा गया है। हिन्दी, गणित, भूगोल इतिहास का अध्ययन भी अनिवार्य है। ज्ञान वृद्धि के लिए किसी विदेशी भाषा की शिक्षा भी आवश्यक मानी गयी है। आजकल यांत्रिक शिक्षा पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। कहा जाता है कि जीवन निर्वाह में उससे बड़ी सहायता मिलती है, पर शिक्षा का लक्ष्य केवल इतना ही न होना चाहिए। फिर यांत्रिक शिक्षा प्राप्त भी कितने ही लोग बेकार घूमते हैं। देश में उतने उद्योग ही नहीं कि उनमें ऐसी शिक्षा प्राप्त सभी लोग खपाये जा सकें। अंग्रेजी विद्यालयों में जो हो शिक्षा रही है, उससे भी जीवन निर्वाह का प्रश्न हल नहीं होता। शिक्षितों की बेकारी की समस्या जटिल होती जा रही है। उसी शिक्षा का अनुकरण करना उचित नहीं जान पड़ता। शिक्षामण्डल मुख्यतः उन्हीं लोगों के लिए खुला है, जो शास्त्रीय शिक्षा प्राप्तकर धर्म तथा लोक की सेवा करना चाहते हैं। यदि उनमें योग्यता है तो उसे स्वीकार कर लोग उनका आदर अवश्य करेंगे और उन्हें जीवन निर्वाह के लिए इधर उधर भटकना न पड़ेगा। शिक्षा मण्डल का उद्देश्य देखते हुए संख्या का मोह न होना चाहिए। प्रतिवर्ष सहस्रों शास्त्री तथा आचार्य निकालने की टकसाल बनाने से कोई लाभ नहीं। यदि साल भर में थोड़े ही सुयोग्य विद्वान् धर्म सेवा के लिए शिक्षा मण्डल प्रदान कर सके, तो उसका प्रयत्न सफल समझना चाहिए। इसमें छात्रों के चरित्र निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। छात्रों को यथासमय छात्रावास में ही रहना पड़ता है। अध्यापकों को भी वहीं रखने की व्यवस्था हो रही है।

सम्बद्ध विद्यालय

१. श्री धर्मसंघ महाविद्यालय काशी—

यह महाविद्यालय धर्मसंघ शिक्षामण्डल का मुख्य महाविद्यालय है। शिक्षामंडल स्थापित होने के पूर्व काल से ही यह चल रहा है। सं० १९९८ आश्विन शुक्ला १० विजयादशमी, सोमवार को श्री नीलकंठ महादेव के सम्मुख श्री श्रीराम सूरजमल की धर्मशाला में इसकी स्थापना हुई। 'श्रीराम सूरजमल चैरिटी ट्रस्ट' के ट्रस्टियों की उदारता से गंगा तट मीरघाट में स्थित 'श्रीराम सूरजमल चैरिटी ट्रस्ट' के भवन में विद्यालय का काम चलने लगा। इसमें ३० छात्रों तथा कुछ अध्यापकों के रहने तथा १०० विद्यार्थियों के पढ़नेके लिए स्थान था। जब दुर्गाकुण्ड के समीप शिक्षामंडल की भूमि खरीदी गई और वहां नये भवनों का निर्माण हुआ, तब यह महाविद्यालय मीरघाट से उठकर वहां चला गया।

महाविद्यालय में प्रायः सभी विषयों की पढ़ाई होती है। इस समय छात्रों की संख्या ५० के ऊपर है। पहले छात्रों को अन्न ही दिया जाता था, परन्तु राशन व्यवस्था से इसमें अड़चने पड़ने के कारण मासिक नकद वृत्ति दी जाती है। अब राशनिंग समाप्त हो गई है। छात्रों को पुनः अन्न देनेका विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रहने का स्थान, प्रकाश, दूध, आदि की भी व्यवस्था है। विद्यालय में वे ही छात्र भरती किए जाते हैं, जो उसके छात्रावास में रहना स्वीकार करते हैं। अध्यापकों की संख्या ९ है। इसमें शिरोमणि तकको पढ़ाई होती है। महाजनी, टाइपराइटिंग जैसे विषयों को भी शिक्षा देनेका विचार चल रहा है, जिसमें जीविकोपार्जन में कुछ सहायता मिल सके। आय-व्यय की दृष्टि से यह पृथक है। इसका मूलधन शेयरों में लगा हुआ है। जिन की आय प्रतिवर्ष लगभग १३ हजार रुपया होती है। इस बातका ध्यान रखा जाता है कि महाविद्यालय का व्यय उस आय तक ही सीमित रहे।

शिक्षामण्डल केन्द्रमें स्थित होने के कारण उस संस्था द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से यह लाभ उठाता है। इसकी रजिष्ट्री भी अलग हो गई है और इसका प्रबन्ध एक समिति के हाथ में है।

२. श्री धर्मसंघ विद्यालय, गायघाट, काशी—

सम्वत् २००० में बम्बई के श्रीसेठ जुंथामल की उदारता से काशीके गायघाट स्थित श्रीचमनराम मोतीलाल बम्बई वालों की कोठी में एक धर्मसंघ विद्यालय की स्थापना हुई। इसमें २५ छात्रों और दो अध्यापकों के रहने की व्यवस्था है। छात्र तथा अध्यापक उसी भवन में एक साथ रहते हैं। विद्यालय का समस्त व्यय धर्मप्राण सेठ श्रीजुंथामल जी ही चला रहें हैं। इसमें मुख्य विषयों की 'रत्न' परीक्षा तक पढ़ाई होती है।

३. श्री धर्मसंघ महाविद्यालय, दिल्ली—

माघ सम्वत् २००० में दिल्ली में अखिल भारत वर्षीय धर्मसंघ का तृतीय महाधिवेशन और उसी के साथ विश्वकल्याणार्थं शतमुखकोटिहोमात्मक महायज्ञ हुआ। तब वहां भी एक धर्मसंघ महाविद्यालय स्थापित करने का निश्चय हुआ। तदनुसार फाल्गुन कृष्ण ५ को श्रीस्वामी कृष्ण बोधाश्रमजी महाराजके सान्निध्य में श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराज के करकमलों द्वारा उसकी स्थापना हुई। यज्ञ से २८७६७७) रु० बच गया था। वही महाविद्यालय की मूल निधि है। जब सम्वत् २००१ में बनारस में श्रीधर्मसंघ शिक्षामण्डल की स्थापना हुई, तब उक्त विद्यालय उसी से सम्बद्ध कर दिया गया। उसकी व्यवस्था के लिए एक विधान बनाकर २८ जुलाई १९४४ में उसकी रजिष्ट्री करा दी गयी। यह महाविद्यालय यमुना के पश्चिम तट पर निगम बोध घाटके समीप, जिसकी पवित्रता तथा माहात्म्यका वर्णन पद्मपुराण में मिलता है, स्थित है। इसमें मुख्यतः शिक्षामण्डल की 'बालबोधिनी' तथा 'रत्न' परीक्षाओं की पढ़ाई होती है। छात्रों की संख्या २५ रहती है।

४. श्री धर्मसंघ विद्यालय, वृन्दावन—

यह विद्यालय विक्रम सम्वत् २००० से चल रहा है। सम्वत् २००२ से इसका सम्बन्ध शिक्षामण्डल से हुआ। इसमें लगभग २०-२५ छात्र शिक्षा पाते हैं। 'बालबोधिनी' तथा 'रत्न' परीक्षाओं की पढ़ाई होती है। यह विद्यालय रमणरेती, वृन्दावन, धानुका भवन के समीप स्थित है। छात्रों तथा अध्यापकों के लिये वहीं रहने की व्यवस्था है। इसका मासिक व्यय लगभग २००० रुपया है। विशेष [illegible] परिवारकी [illegible] व्यवस्था होती है।

इसके अतिरिक्त बांदा जिले में दो लखनऊमें एक तथा अन्य स्थानों में भी कुछ पाठशालाएं हैं, जहां के छात्र मण्डल की परीक्षाओं में बैठते हैं।

व्यापक योजना

विभिन्न विषयों का प्रारम्भिक ज्ञान इन विद्यालयों में करा दिया जाता है, पर इनकी उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए पृथक महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता है। शिक्षामण्डल के अन्तर्गत ऐसे जो विद्यालय बनने जा रहे हैं, उनका संक्षिप्त विवरण यहां दिया जा रहा है। इससे मण्डल की विशाल योजना का अनुमान लगाया जा सकता है।

१. वेद महाविद्यालय

भारतीय सभ्यता, संस्कृति के मूल अनादि अपौरुषेय वेद हैं। इस महाविद्यालय में वेदों की समस्त उपलब्ध शाखाओं की सर्वांग पूर्ण शिक्षा विशिष्ट विद्वानों द्वारा की जायगी। वेदों के सम्बन्ध में आधुनिक अनुसन्धान का भी ज्ञान कराया जायगा। श्री धर्मसंघ महाविद्यालय का वेद विभाग इसी दृष्टि से अलग कर दिया गया है। उसमें चारों वेदों के पांच अध्यापक हैं।

२. धर्मशास्त्र महाविद्यालय—

इसमें मनु आदि स्मृतियों, उनके विवरण-ग्रन्थों एवं निबन्धों आदि द्वारा धर्मशास्त्र की प्रौढ़ शिक्षा दी जायगी। परस्पर विरुद्ध से प्रतीत होने वाले स्मृतिवचनों की व्याख्या एवं धर्माभासों का निराकरण शिक्षा का अंग होगा। उच्च कक्षाओं में संसार के प्रमुख धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन भी कराया जायगा।

३. [illegible]—

इसमें वेदान्त, न्याय, मीमांसा, सांख्य आदि समस्त भारतीय दर्शनों की शिक्षा दी जायगी। उच्च कक्षाओं में पाश्चात्य, प्राचीन तथा अर्वाचीन दर्शनों का भी परिचय कराया जायगा। अनुसन्धान के लिए विशेष व्यवस्था रखी जायगी।

४. व्याकरण, साहित्य महाविद्यालय—

व्याकरण की गणना वेदों के अंगों में है। उससे सिद्ध साधु शब्दों का प्रयोग विशेषकर साहित्य में ही उपलब्ध होता है। अतः उनका परस्पर निकट सम्बन्ध है। इस महाविद्यालय द्वारा व्याकरण और प्राचीन तथा नव्य साहित्य की शिक्षा दी जायगी।

५. ज्योतिष महाविद्यालय—

इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि ज्योतिष को वेद का नेत्र बतलाया गया है। इस महाविद्यालय में ज्योतिष के गणित, फलित आदि सभी अंगों की पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। अनुकूलता होने पर उपयुक्त यन्त्रों का संग्रह करके एक वेधशाला बनवायी जायगी और उसकी सहायता से ज्योतिष के प्राचीन गणित में अत्यावश्यक कार्यों की योजना कार्यान्वित की जायगी।

६. इतिहासपुराण महाविद्यालय—

भारतीय आदर्श सभ्यता, संस्कृति के उज्ज्वल उदाहरण हमारे इतिहासपुराण हैं। इस महाविद्यालय में इनकी व्यापक शिक्षा दी जायगी। तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से आधुनिक भूगोल, इतिहास का भी परिचय कराया जायगा।

७. अर्थशास्त्र महाविद्यालय—

शुक्र, बृहस्पति, कामन्दक, कौटिल्य, कणिक आदि की नीतियों के मनन करने पर भारत के प्राचीन नीतिज्ञान का अनुभव होता है। इस विद्यालय में इन्हीं विषयों की उच्च शिक्षा दी जायगी और साथ ही आधुनिक समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र का भी अध्ययन कराया जायगा।

८. अध्यापक उपदेशक महाविद्यालय—

उच्च शिक्षा प्राप्त विभिन्न विषयों के विद्वान् छात्रों को इस विद्यालय में अध्यापनकार्य की शिक्षा का प्रयोगिक एवं सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त कराया जायगा। विज्ञान-शक्ति-सम्पन्न धार्मिक भावना के विद्वानों के लिए ऐसी व्यापक शिक्षा व्यवस्था की जायगी कि जिसमें शिक्षित होकर वे जनता में सद्भावना का प्रचार कर सकें। उन्हें आधुनिक विषयों का भी ज्ञान कराया जायगा, जिससे उनके द्वारा उत्पन्न भ्रम दूर करने में वे समर्थ हो सकें।

९. आयुर्वेद महाविद्यालय—

देश में स्वराज्य स्थापित हो जाने पर भी आयुर्वेद की वृद्धि की ओर अभी तक समुचित ध्यान नहीं दिया गया। अब सरकार भी कुछ अनुभव करने लगी है कि हमारे देश के जलवायु तथा आर्थिक

दृष्टि से आयुर्वेदिक चिकित्सा ही अधिक उपयुक्त है। इस महाविद्यालय में आयुर्वेद की पूर्ण शिक्षा के साथ औषध निर्माण, वनस्पति परिचय, उनके संरक्षण तथा सर्वांगीण चिकित्सा आदि प्रयोगिक विषयों की शिक्षा की भी व्यवस्था की जायगी।

१०. कलाविज्ञान महाविद्यालय—

प्राचीन समय में अपने यहाँ विज्ञान तथा कला का कितना प्रचार था, यह उस समय के इतिहास से ज्ञात होता है। ३२ विद्याओं एवं ६४ कलाओं का उल्लेख भारतीय प्राचीन साहित्य में मिलता है। इस विद्यालय में शिक्षा द्वारा इन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया जायगा। इसके अध्ययन में आधुनिक कला तथा विज्ञान का भी समावेश रहेगा, जिसमें यह अनुभव किया जा सके कि सब दृष्टियों से कौन अधिक श्रेष्ठ तथा उपयोगी है।

११. पुस्तकालय—

इसकी उपयोगिता एवं आवश्यकता स्पष्ट ही है। इसमें प्राचीन तथा अर्वाचीन लिखित एवं प्रकाशित सर्वविध ग्रन्थों का व्यापक संग्रह किया जायगा। शिक्षामण्डल के उपाध्यक्ष त्यागमूर्ति श्रीरामयश जी त्रिपाठी (महाशय जी) स्व० ने अपनी पुस्तकों का अमूल्य संग्रह प्रदान कर इसका श्रीगणेश कर दिया है। अखिल भारतीय धर्मसंघ के महामंत्री मानस-राजहंस श्रीविजयानन्द जी त्रिपाठी ने हाल ही में हस्तलिखित ग्रन्थों का अपना बहुमूल्य संग्रह प्रदान किया, पर अभी तक कोई भवन न होने के कारण पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था नहीं हो पायी है।

१२. प्रकाशन विभाग—

विभिन्न विषयों में जो अनुसन्धान होंगे, सर्वसाधारण के लाभ के लिए उनका प्रकाशित होना बहुत आवश्यक है। आजकल जैसा कुरुचि-

पूर्ण साहित्य निकल रहा है, उससे जनता का नैतिक स्तर गिर रहा है। उच्चकोटि की पत्र-पत्रिकाएं तथा साहित्य निकालने की भी बड़ी आवश्यकता है। शिक्षामण्डल के प्रकाशन विभाग द्वारा इसकी पूर्ति का प्रयत्न किया जायगा। यह कार्य आरम्भ भी हो गया है। ग्रन्थों का प्रकाशन भी आरम्भ हो गया है। "शिक्षामण्डल ग्रन्थमाला" चल पड़ी है। इसमें श्रीस्वामी करपात्री जी महाराज के सभी लेखों का संग्रह [illegible] प्रेस की अत्यन्त आवश्यकता है।

१३. व्यायाम शाला—

राष्ट्र के जन समुदाय को स्वस्थ, सुडौल, साहसी एवं कर्मठ बनाने में व्यायाम अत्यन्त उपयोगी है। उसके लिए एक सर्वांगपूर्ण व्यायाम-शाला का आयोजन किया जायेगा। उसके द्वारा मण्डल के समस्त छात्रवर्ग को प्राचीन तथा आधुनिक व्यायाम की शिक्षा दी जायेगी। उसमें सैनिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जायगी।

१४. गोशाला—

इस विभाग में उत्तम गौएं रखकर उनका आदर सम्मान करते हुए उनकी दया से प्राप्त दुग्धादि पौष्टिक पदार्थों से छात्रों के स्वास्थ्य सुधार का प्रयत्न किया जाएगा। साथ ही उत्साही जनों को गोपालन आदि की शिक्षा दी जायगी। यह कार्य भी प्रारम्भ हो गया है।

हमारी आवश्यकताएं

संस्थाओं का जैसे-जैसे विकास होता जाता है, उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। पर यहां वे ही आवश्यकताएं प्रस्तुत की जा रही है, जिनकी पूर्ति के बिना काम नहीं चल रहा है।

१. स्थायी कोष—

बिना स्थायी कोष के किसी संस्था में स्थायित्व नहीं आसकता। अभीतक शिक्षामंडल का कार्य फुटकर दान से चलता रहा। गत १० वर्षों में लगभग ५ लाख रुपया एकत्र हुआ। इसमें से साढ़े ३ लाख भूमि तथा भवन निर्माण पर व्यय हुआ। बिना उपयुक्त स्थान के इस संस्था का रूप ही न सामने आता और न सचारुरूप से काम ही चल पाता। इस के अतिरिक्त कई दाताओं ने भूमि और भवनके लिए ही रुपया दिया था। अत: आवश्यक समझकर इस कार्य में व्यय करना पड़ा। इसमें अभी और आवश्यकता है, जैसा कि दिखलाया जा चुका है। शेष धन अन्य कार्यों में व्यय हुआ। यद्यपि विभिन्न विद्यालयों का कार्य अपनी निधि से चल रहा है, तब भी शिक्षामंडल को वेद विद्यालय का भार उठाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त परीक्षा, प्रकाशन तथा अन्य विभागों का खर्च चलाना पड़ता है। इस समय उसका मासिक व्यय लगभग २ हजार रुपया है। उसके स्थाई कोषमें इतना रुपया अवश्य होना चाहिए, जिस की आय से उसका वर्तमान खर्च चलता रहे और उसमें कमी करने की आवश्यकता न पड़े, धीरे-धीरे कोष बढ़ाया जा सकता है।

२. महाविद्यालय भवन—

लगभग १०० छात्रों के रहने के लिए स्थान की व्यवस्था हो गयी है, पर अभी तक महाविद्यालयों के लिए कोई भवन नहीं बना, जिसके कारण पढ़ाई में असुविधा होती है। यद्यपि थोड़े स्थान बने हैं, तथापि अभी इस दिशा में बहुत कुछ होना शेष है।

३. अध्यापक निवास—

यह बहुत आवश्यक है कि अध्यापक और छात्र साथ-साथ रहें, इस से पढ़ाई में सुविधा होती है और छात्रों के चरित्र निर्माण में सहायता मिलती है। छात्रावास तो बन गया है, पर अध्यापकों के रहने योग्य

स्थान नहीं है। कम से कम ८ गृह अवश्य ऐसे बन जाने चाहिए, जिन में अध्यापक रह सकें। कई उच्चकोटि के विद्वान अवैतनिक रूप में शिक्षा मण्डल में कार्य करने के लिए तैयार हैं, परन्तु केवल रहने के लिए स्थान चाहते हैं। उच्चकोटि के विद्वानों के रहने से ही शिक्षामण्डल की शोभा है। छोटी गृहस्थी के निर्वाह योग्य गृह बनवाने के नक्शे मय खर्च के पुस्तिका के अन्त में दिए हुए हैं।

४. गोशाला—

गौओं की संख्या बढ़ती जा रही है। कितने ही लोग गाय देना चाहते हैं, पर उन्हें रखने की समुचित व्यवस्था न होने के कारण इन्कार करना पड़ता है। २० गौएं रखने योग्य स्थान बनवानेमें लगभग १०००० रुपया लगेगा। इसके अतिरिक्त उनके भोजन आदि की भी व्यवस्था करनी है।

५. मुद्रणालय—

'शिक्षामण्डल ग्रन्थमाला' एवं प्रकाशन विभाग की स्थापना से यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि एक सुव्यवस्थित एवं साधनयुक्त प्रेस शिक्षामण्डल की भूमि में स्थापित किया जाय।

विद्यादान

अपने यहां विद्यादान की बड़ी महिमा बतलायी है 'देवीपुराण' में कहा गया है कि 'विद्यादान से बढ़कर श्रेष्ठ दान तीन लोकों में भी नहीं है' 'विद्यादानात्परं दानं त्रैलोक्येपि न विद्यते'। 'अग्निपुराण' में बतलाया गया है कि प्रतिदिन पढ़ने वाले छात्रों को अन्न, वस्त्र और वृत्ति जो देता है, वह यज्ञों का फल प्राप्त करता है। 'यो वृत्तिं पठमानानां करोत्यनुदिनं नृप। स यज्ञफलमाप्नोति दानाच्छादनभोजनैः' अपने यहां

शिक्षा के लिए बहुत कुछ दिया गया, पर अधिकांश में उसका दुरुपयोग ही हुआ, जैसा दिखलाया गया है। धर्मनिष्ठ जनता को शिक्षा मण्डल जैसी संस्था की यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए। अन्न, वस्त्र, पुस्तक वृत्ति किसी भी रूप में सहायता की जा सकती है। थोड़ी सी भी रकम धन्यवाद पूर्वक स्वीकार की जाएगी। किसी की स्मृतिमें छात्रों को वृत्तियां दी जा सकती है। साधारणतः एक छात्र का व्यय लगभग ३० रुपया पड़ता है। भवनों का निर्माण कराया जा सकता है। विद्यालयों में ऐसे विषयों की गद्दी स्थापित की जा सकती है, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। सामर्थ्यानुसार किसी न किसी रूपमें सभी कोई सहायता कर सकते हैं। आशा है धार्मिक जनता इस ओर ध्यान देगी और अपने बालकों को आस्तिक, सच्चरित्र, स्वदेश भक्त बनाने के इस प्रयत्नमें हाथ बंटायेगी। सभी प्रकार की सहायता 'मन्त्री, श्रीधर्मसंघ शिक्षामण्डल, दुर्गाकुण्ड, काशी' के पते से आनी चाहिये।

———

ब्रह्मचर्याश्रम

ब्रह्मचर्याश्रम में अविवाहित छात्रों को ही प्रवेश किया
जायगा जिनकी अवस्था सात वर्ष से कम और चौदह वर्ष से
अधिक न हो। प्रत्येक ब्रह्मचारी का अध्यापन काल ८ वर्ष
तक रहेगा। यदि किसी कारण वश कोई अभिभावक अपने
छात्र को इस अवधि के भीतर ही ले जाना चाहेगा तो प्रवेश
तिथि से और त्याग तिथि के दिन तक का १००) प्रति माह
के हिसाब से दण्डस्वरूप शिक्षा मण्डल में जमा करना होगा।

श्री हरिः

श्री धर्मसंघ शिक्षामण्डल

के

उद्देश्य और विधान

नाम और कार्यक्षेत्र—

इस संस्था का नाम श्री धर्मसंघ शिक्षामण्डल है और इसका कार्य क्षेत्र सामान्यतः समस्त भारत और धार्मिक जनता की मांग पर सिक्किम नेपाल, भूटान, तिब्बत तथा अन्य किसी भी देश अथवा द्वीप में हो सकता है।

प्रधान कार्यालय—

इसका प्रधान कार्यालय वाराणसी में रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली में प्रधान कार्यालय रह सकता है तथा सुविधानुसार एक अथवा अधिक शाखा कार्यालय भी खोले भी जा सकते हैं।

उद्देश्य—

संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

(क) सर्व कल्याण के मूलभूत धर्मसंरक्षणार्थ शास्त्रानुसारिणी शिक्षा का प्रचार।

(ख) द्विजमात्र के लिए चारो वेद, वेदांग, शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, धर्मशास्त्र, कर्मकाण्ड, स्मृति, पुराण, इतिहास कला, नीति, दर्शन, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक,

साहित्य, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र आदि की सुयोग्य ब्राह्मण अध्यापकों द्वारा स्मृति पुराणादि प्रतिपादितपरम्परा स्वीकृत सनातन धर्मानुकूल शिक्षा की व्यवस्था करना।

(ग) सर्व जातियों के कल्याणार्थ शास्त्रानुमोदित उपदेश और शिक्षा की व्यवस्था करना।

(घ) महिलाओं और बालिकाओं के लिए शास्त्रानुसार शिक्षा, धर्मोपदेश की व्यवस्था करना।

(ङ) धर्मप्रचारार्थ शास्त्रानुसार योग्य ब्राह्मण उपदेशकों, प्रचारकों को तैयार कर धर्मप्रचार कथा प्रवचन आदि का प्रबन्ध करना।

(च) उपरोक्त उद्देश्य पूर्ति के लिए उपयुक्त शिक्षा संस्थाएं, धर्मसस्थाएं अथवा सेवा संस्थाएं स्थापित करना तथा पूर्व से स्थापित अथवा भविष्य में संस्थाप्य ऐसी सस्थाओं को, जो शिक्षा मण्डल के उद्देश्यों एवं नियमों का अनुसरण करना चाहती हों, अपने साथ सम्बद्ध करना और उनके सुप्रबन्ध की विधिवत् व्यवस्था अथवा निरीक्षण करना।

(छ) शिक्षा-पद्धति को विकृत होने से सुरक्षित रखना।

(ज) परीक्षाओं की व्यवस्था, उत्तीर्ण छात्रों के लिए उपाधि वितरण, प्रमाणपत्र, पुरस्कारादि वितरण तथा अन्य विशिष्ट सम्मान्य व्यक्तियों के लिए जिन्होंने सनातन धर्म की विशेष सेवा की हो, सम्मान पत्र, उपाधि, पदक, द्रव्य इत्यादि द्वारा सम्मान की व्यवस्था करना। तत्तद्विषय के लिए अध्ययनाध्यापन की सामग्री, पुस्तक, पुस्तकालय दुर्लभ ग्रन्थों की मूल पाण्डुलिपियां, ज्योतिषशास्त्र के लिए उपयोगी यन्त्र, वेधशाला, आयुर्वेद के लिए औषध भण्डार, वनस्पति उद्यान आहिताग्नियों के लिए यज्ञशाला, श्रौतार्त स्मार्तयज्ञादि प्रदर्शन शिक्षा शाला, तथा अर्थशास्त्र, स्थापत्यकला, विद्युत एवं यंत्रविज्ञानादि के लिए उपयुक्त प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करना।

(झ) उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधन संचय, धनसंग्रह, दान, क्रय, पट्टा आदान-प्रदान अथवा अन्य उपयुक्त उपायों द्वारा चल-अचल सम्पत्ति संकलन, उनका संरक्षण, सुप्रबन्ध एवं सम्वर्धन और उन सभी स्वत्वों और अधिकारों का प्रयोग करना, जो संस्था के सुचारु सञ्चालन के लिए आवश्यक हों।

(ञ) उपर्युक्त उददेश्यों की पूर्ति के लिए कार्यालय, शाखा, समिति, पदाधिकारी, कर्मचारी सदस्य आदि विधानानुसार नियुक्त, निर्वाचित करना अथवा पृथक करना एवं अन्य सभी प्रकार के आवश्यक कार्य करना एवं उपाय प्रयोग में लाना।

इस विधान में जब तक प्रसंग से स्पष्ट रूपसे अन्यथा सूचित न हों, 'शिक्षा मण्डल' अथवा 'मण्डल' से अभिप्राय श्री धर्मसंघ शिक्षामण्डल से होगा।

महाविद्यालय से अभिप्राय श्री धर्मसंघ महाविद्यालय से होगा।

संस्थापक और अध्यक्ष से अभिप्राय श्री धर्मसंघ शिक्षामण्डल के संस्थापक और अध्यक्ष से होगा।

अनुशासन से अभिप्राय: श्री धर्मसंघ शिक्षामण्डल के उद्देश्यों, नीति, हितस्वत्व एवं धार्मिक शैक्षणिक सिद्धांत के अप्रतिकूल आचरण और क्रमानुसार अधिकारियों के आदेश का पालन है। इसी प्रकार अनुशासन भंग से अभिप्राय एतत्प्रतिकूल अथवा अननुकूल आचरण अथवा आदेश की अवहेलना अथवा उपेक्षा होगा। उद्देश्य, नियम और विधान से अभिप्राय इन सब उद्देश्यों, नियमों और उपनियमों से है जो सम्पूर्ण श्री धर्मसंघ शिक्षा मण्डल एवं उनके समस्त अंगों, संस्थाओं, समितियों, पदाधिकारियों, सदस्यों, कर्मचारियों, अध्यापकों और छात्रों के लिए अनिवार्य रूप से मान्य होंगे और संस्था के उद्देश्य इस विधान में वर्णित स्पष्ट विधि के अतिरिक्त सर्वथा अपरिवर्तनीय होंगे।

१. सदस्य—

शिक्षा मण्डल के निम्नलिखित ३ प्रकार के सदस्य होंगे।

(क) संरक्षक—ऐसे महात्मा, साधु, सन्यासी, विशिष्ट, विद्वान तथा नरेश, दानवीर धर्मवीर जिन्होंने मण्डल के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर किया हो और मण्डल के उद्देश्यों से सहानुभूति रखते हों, व्यवस्थापिका समिति द्वारा मण्डल के संरक्षक चुने जा सकते हैं।

(ख) सहायक सदस्य—(अ) २५००० नगद सहायता अथवा इतने मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करने वाले महानुभाव प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करने पर आजीवन सहायक सदस्य होंगे।

(ब) न्यूनतम १०० रुपया अथवा इतनी सम्पत्ति देने वाले महानुभाव प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करने पर दो वर्ष के लिए सहायक सदस्य होंगे।

(ग) साधारण सदस्य—विशिष्ट धार्मिक वृत्ति, विद्वान तथा अन्य सेवाओं एवं धार्मिक शिक्षादि सहयोग के कारण नियुक्त अथवा निर्वाचित पदाधिकारी, समितियों अथवा उपसमितियों के सदस्य, मण्डल के उपजीवी, सम्मिलित एवं स्वीकृत संस्थाओं के सदस्य तथा मण्डल के प्राचीन रजिस्टर्ड छात्र अपने-अपने पद की अवधि तक प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और प्रतिज्ञा-पत्र स्वीकृति पर साधारण सदस्य होंगे। रजिस्टर्ड छात्रों की सदस्यता की अवधि २ वर्ष तक होगी।

२. मण्डल—

समस्त सहायक एवं साधारण सदस्यों तथा संरक्षक महानुभावों से मण्डल का गठन होगा और वार्षिकोत्सव के अवसर पर इसकी साधारण बैठक हुआ करेगी। अध्यक्ष की आज्ञा से वर्ष भर में कभी भी विशेष बैठक का आयोजन हो सकेगा।

३. व्यवस्थापिका समिति—

व्यवस्थापिका समिति के अधिकतम २१ सदस्य होंगे जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और मन्त्री के अतिरिक्त १० सदस्य संस्थापक एवं अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए नियुक्त होंगे। ७ सदस्य मण्डल द्वारा प्रति तृतीय वार्षिक अधिवेशन पर निर्वाचित होंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और मन्त्री पदेन इस समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और मन्त्री होंगे। शेष पदाधिकारी अर्थात् उपमन्त्री, सहायक मन्त्री और निरीक्षक समिति द्वारा अपने सदस्यों में से ही प्रति तृतीय वर्ष निर्वाचित होंगे अर्थात् सामान्यतया इनका कार्यकाल २ वर्ष होगा। वार्षिक अधिवेशन २१ दिन की पूर्व सूचना पर आयोजित होगा और अन्य साधारण अधिवेशन के लिए १० दिन पूर्व की सूचना पर्याप्त होगी और विशेष बैठक के लिए ७ दिन पूर्व की सूचना आवश्यक होगी।

४. विद्वत् परिषद—

भारतवर्ष के धर्म एवं विद्या निष्णात पण्डित वर्ग में से सामान्यतः और विशेषकर काशी के धार्मिक पण्डितवर्ग में से संस्थापक एवं अध्यक्ष द्वारा गठित होगी।

विद्वत् परिषद के अधिकार एवं कर्तव्य

१. शिक्षा मण्डल एवं सम्बद्ध विद्यालयों के लिए परीक्षा, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें निर्धारित करना।
२. शास्त्रीय गम्भीर विषयों पर पुस्तकें तैयार करना तथा लिखित, मुद्रित पुस्तकों को स्वीकृत, अस्वीकृत करना।
३. आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक विषयों में व्यवस्था, निर्णय आदि देना।
४. भारत में कहीं भी मण्डल अथवा धर्मसंघ द्वारा आयोजित यज्ञादि की व्यवस्था करना।

५. विद्वत् सम्मेलन —

अखिल भारतीय धर्मसंघ के अधिवेशनों तथा सर्ववेद शाखा सम्मेलनों के अवसर पर विद्वत् सम्मेलनों का आयोजन करना।

६. विद्वत् परिषद् का साधारण अधिवेशन —

सामान्यतः वर्ष में एक बार होगा और आवश्यकता पड़ने पर विशेषाधिवेशन कभी भी अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किया जा सकेगा। परिषद् के सभापति दो उपसभापति, मन्त्री और उपमन्त्री, विद्वत् परिषद् द्वारा एक वर्ष के लिए निर्वाचित किए जायंगे जो साधारणतया दूसरे वर्ष के लिये निर्वाचन तक कार्य संचालन करेंगे।

७. सर्वोच्च समिति —

शिक्षा मण्डल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मन्त्री के अतिरिक्त दो अन्य सदस्य जो व्यवस्थापिका समिति द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। इन ५ द्वारा गठित सर्वोच्च समिति होगी। यह समिति व्यवस्थापिका समिति और मण्डल के लिए कार्य निर्देशिका का कार्य करेगी। सर्वोच्च समिति का अधिवेशन किसी भी कठिन समस्या को सुलझाने के लिये २४ घण्टे की सूचना से बुलाया जा सकता है और उसका निर्णय अथवा निर्णीत व्यवस्था, प्रबन्ध परिवर्तन आदि शिक्षा मण्डल के लिये अन्तिम मान्य होंगे। सर्वोच्च समिति का अधिवेशन मण्डल के संस्थापक अथवा अध्यक्ष द्वारा स्वयं अथवा उनके आदेश से उपाध्यक्ष अथवा मन्त्री द्वारा बुलाया जा सकता है।

व्यवस्थापिका समिति के कर्तव्य और अधिकार

१. शिक्षा मण्डल की कार्यकारिणी के रूप में उसके उद्देश्यों को स्पष्ट, सुरक्षित, स्थिर एवं कार्यान्वित करना और वृद्धि पर लगना।
२. सब समितियों की कार्यवाही का निरीक्षण करना तथा उन्हें मार्ग दर्शनार्थ निर्देश देना।

३. संस्थाओं के परस्पर मतभेदादि का निपटारा करना।
४. वार्षिक आय व्यय पत्रक को स्वीकृत करना एवं ट्रस्टाभिलिखित नियम के अनुसार तदर्थ समुचित व्यवस्था करना और श्रीधर्मसंघ शिक्षा मण्डल ट्रस्ट के पास भेजना तथा ट्रस्ट से उसके लिए आवश्यक द्रव्य प्राप्त करना।
५. मण्डल के सम्बद्ध विद्यालयों, सम्मिलित शिक्षा संस्थाओं एवं अन्य धार्मिक, सामाजिक सम्मिलित संस्थाओं के वार्षिक कार्य प्रतिवेदन का निरीक्षण करना और उन्हें आवश्यक निर्देश करना।
६. सर्वोच्च समिति तथा संस्थापक एवं अध्यक्ष के विशिष्ट आदेशों को क्रियान्वित करना।
७. मण्डल के वार्षिकोत्सव, अन्य उत्सवों तथा उपाधि वितरण दीक्षा एवं दीक्षान्त समारोहों का समुचित प्रबन्ध करना।
८. मण्डल के सर्वविध कार्यों पर नियन्त्रण रखना और उन्हें सफल बनाना।
९. मण्डल की स्थिर चर सम्पत्ति की सुरक्षा, सुव्यवस्था एवं वृद्धि के लिए श्री धर्मसंघ शिक्षा मण्डल ट्रस्ट की स्थापना करना।

अधिवेशन

व्यवस्थापिका समिति के न्यूनतम दो साधारण अधिवेशन एक वर्ष में होंगे और दो अधिवेशनों में पांच मास के अधिक का अन्तर न होगा। इनके अतिरिक्त साधारणतः आवश्यकता पड़ने पर विशेषाधिवेशन भी अध्यक्ष के आदेश से मंत्री द्वारा अथवा न्यूनतम ७ सदस्यों की लिखित मांग पर उपाध्यक्ष अथवा मंत्री द्वारा बुलाया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष एवं अथवा अपने द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा भी बुला सकते हैं।

अधिवेशन-सूचना

साधारणतः अधिवेशन की सूचना न्यूनतम १० दिन की शुद्ध होगी अर्थात् दिन गणना में सूचना की तिथि और अधिवेशन की तिथि को छोड़कर दिन गणना की जायगी। इसी प्रकार विशेषाधिवेशन की सूचना की तिथि और अधिवेशन की सूचना न्यूनतम ७ दिन की होगी। सूचना प्रमाण के लिये डाक प्रमाण पत्र 'सर्टिफिकेट आफ पोस्टिंग' पर्याप्त होगा।

स्थगित अधिवेशन की सूचना भी विशेषाधिवेशन की सूचना के समान होगी किन्तु किसी अधिवेशन की कार्यवाही अपूर्ण रहने पर अध्यक्ष की आज्ञा से उसी दिन, दूसरे समय अथवा उसके दूसरे दिन अथवा सुविधानुसार किसी और समय के लिये अधिवेशन स्थगित किया जा सकेगा और उसकी सूचना अधिवेशन में ही उपस्थित सदस्यों को मौखिक दी जायेगी। किन्तु यदि अधिवेशन ७ दिन के अनन्तर हो तो उसकी लिखित सूचना अनुपस्थित सदस्यों के पास विधिवत भेजी जायेगी और उपस्थित सदस्यों को अधिवेशन में ही दी जायगी।

गणपूरक संख्या के अभाव में असाधारण अधिवेशन एक सप्ताह और विशेषाधिवेशन २४ घण्टे के लिये स्थगित किया जा सकेगा और सूचना यथासमय यथोचित मार्ग से दी जायगी।

गणपूरक संख्या

मण्डल की गणपूरक संख्या १०, व्यवस्थापिका समिति के लिये ५, विद्वत् परिषद के लिए ५ तथा सर्वोच्च समिति के लिये ३ होगी। किन्तु कोरम के अभाव में स्थगित अधिवेशन में कोरम की आवश्यकता न होगी।

पदाधिकारी

१. संस्थापक—

अनन्त श्री स्वामी करपात्रीजी महाराज संस्था के संस्थापक हैं व रहेंगे। उनका आदेश एवं निर्णय मण्डल के सभी अंगों के लिए मान्य होगा। सामान्यतया किसी समिति के सदस्य न रहेंगे किन्तु आवश्यकता पड़ने पर किसी समिति या अधिवेशन आमन्त्रण का आदेश दे सकेंगे। शिक्षा मण्डल के किसी अंग में [illegible] उत्पन्न होने पर अथवा अन्य कोई विकट समस्या उत्पन्न होने पर, संस्थापक का निर्णय सर्वमान्य और अन्तिम होगा। यदि सर्वोच्च समिति उनके सुपुर्द प्रश्न पर अपना निर्णय एक माह के भीतर न दे सके तो उसके बाद संस्थापक को सर्वोच्च समिति के अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे और उनका निर्णय सर्वोच्च समिति का निर्णय माना जायगा।

२—संरक्षक—

मण्डल के विशेष सम्मान्य अंग माने जाएंगे। किसी समिति के सीधे सदस्य न रहने पर भी मण्डल के किसी अंग को सत्परामर्श दे सकेंगे तथा बैठकों में उपस्थित भी हो सकेंगे। आपके परामर्श का मण्डल के सभी अंगों में विशेष समादर से देखा जायगा।

३—अध्यक्ष—

शिक्षा मण्डल के सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे। मण्डल के सर्वप्रथम अध्यक्ष अनन्त श्री जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज हैं और आजीवन रहेंगे। अध्यक्ष महोदय पदेन मण्डल व्यवस्थापिका समिति और सर्वोच्च समिति के अध्यक्ष होंगे और सभी के अधिवेशनों में सभापति पद से नियंत्रण और कार्यवाही संचालन करेंगे। अध्यक्ष अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति और उनके अधिकारों एवं उनके कर्तव्यों का निश्चय न स्वयं करेंगे और ऐसा कदाचित न

करने पर दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति मण्डल के द्वारा होगी। इन दोनों के आदेश न प्राप्त होने की अवस्था में अध्यक्ष का निर्वाचन सर्वोच्च समिति द्वारा किया जायगा।

अध्यक्षीय कर्तव्य और अधिकार

१. मण्डल, व्यवस्थापिका समिति तथा सर्वोच्च समिति में सभापति पद से कार्यवाही संचालन और प्रमाणीकरण।

२. मण्डल के सभी अंगों का कार्य निरीक्षण सभी समितियों की कार्यवाही का निरीक्षण।

३. मण्डल के किसी अंग, समिति अथवा उप-समिति का कार्य, कार्यवाही संकलन अथवा अस्तित्व के उद्देश्य, नीति अथवा हित स्वत्व के प्रतिकूल बाधक अथवा हानि का अथवा किसी प्रकार से अवांछनीय होने पर, किसी एक कार्य, कार्यवाही को स्थगित करना, कार्य अथवा कार्यवाही भंग करना अथवा उसके अधिकार क्षेत्र का संकोच—विस्तार करना। इस विषय में अध्यक्ष का निर्णय कारणोल्लेख बिना अन्तिम होगा और मण्डल के सभी अंगों के लिये मान्य होगा।

४. मण्डल के उद्देश्य, नीति, हित अथवा अनुशासन के प्रतिकूल, हानिकर अथवा किसी अन्य प्रकार से अवांछनीय अंग, पदाधिकारी सदस्य, कर्मचारी, अध्यापक अथवा छात्र को निलम्बित करके उनके पदच्युत, निष्कासित, पृथक अथवा सम्पूर्ण अथवा अपूर्ण अधिकार च्युत करना, उनके कर्तव्य और अधिकार क्षेत्र का संकोच अथवा विस्तार करना अथवा किसी पद अथवा विभाग अथवा विभागों का स्थगन, अथवा भंग करना, पदोन्नयन अथवा पदावनयन करना और इसकी सूचना व्यवस्थापिका समिति के पास प्रेषित करना और व्यवस्थापिका द्वारा अपुष्ट होने पर उसको पुष्टिप्राप्त करना और सर्वोच्च समिति के पास निर्णयार्थ भेजना।

५. शिक्षा मण्डल के उद्देश्य, नीति, हित के लिये आवश्यक किसी पद, पदाधिकारी, संयुक्त अथवा सहायक पदाधिकारी, अध्यापक अथवा कर्मचारी अस्थायी रूप से नियुक्त करना तथा उनको नियुक्ति स्थायी करने के लिये व्यवस्थापिका समिति को प्रेषित करना।

६. उपाधियों, प्रमाणपत्रों, सम्मान पत्रों अथवा अन्य आवश्यक पत्रों एवं कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर बनाना।

७. मण्डल के कोष, चल अचल सम्पत्ति तथा अन्य; आर्थिक संचयों और हितों का मण्डल के अध्यक्षपदत्वेन शिक्षा मण्डल ट्रस्ट का अध्यक्ष पद ग्रहण करना और मण्डल के हित में बाधक अथवा हानिकर होने पर किसी आर्थिक व्यवहार; व्यवहार को रोकने, स्थगित करने अथवा सर्वथा अस्वीकृत करने के लिए ट्रस्ट को परामर्श देना।

८. आवश्यकतानुसार अपने सम्पूर्ण अथवा सीमित अधिकारों को उपाध्यक्ष अथवा अन्य किसी अधिकारी को सौंपना अथवा अन्य किसी विशेषाधिकार सम्पन्न किसी निश्चित समय के लिये कार्यवाहक नियुक्त करना तथा संस्था के हित, स्वत्व एवं उद्देश्य की रक्षा के लिये उपयुक्त, आवश्यक कार्य करना और आवश्यकता पड़ने पर कार्यवाहक का कार्यकाल बढ़ाने के लिये व्यवस्थापिका समिति को प्रेरित करना।

४. उपाध्यक्ष—

इनकी नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा ३ वर्ष के लिए होगी।

कर्तव्य और अधिकार—

१. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में मण्डल और व्यवस्थापिका समिति के अधिवेशनों में सभापति पद से कार्य संचालित करना और प्रमाणित करना।

२. अध्यक्ष द्वारा अधिकारों का प्रयोग करना ।

३. पाठ्यक्रम, परीक्षा और अनुशासन का विशेष निरीक्षण [illegible] तत्सम्बन्धी आवश्यक तात्कालिक निर्देश देना ।

४. शिक्षा मण्डल के उद्देश्यों को कार्य रूप में परिणत करने का [illegible] दायित्व रखना और मण्डल सम्बन्धी सभी कार्यों के [illegible] नार्थ आवश्यक कार्य करना ।

५. मन्त्री—

अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होंगे और कार्यकाल सामान्यतयः ३ वर्ष का होगा ।

कर्तव्य और अधिकार—

१. स्वयं अथवा अध्यक्ष के आदेश से व्यवस्थापिका समिति एवं मण्डल के साधारण अधिवेशन सदस्यों को मांग पर विशेषाधिवेशन विधिवत आमंत्रित करना और उनकी कार्यवाही का विवरण रखना ।

२. सभी अंगों समितियों का संबद्ध पंजिका (रजिस्टर) पुस्तिकाओं व्यवहार पत्रों तथा पत्र व्यवहार को व्यवस्थित रखना ।

३. दान चन्दा सहायता अथवा अन्य मार्ग से प्राप्त द्रव्य की विधिवत् रसीद देना और उसका नियमित विवरण रखना एवं रकम ट्रस्ट के पास जमा करना ।

४. कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य सभी प्रकार के बिलों को चुकाना ।

५. शिक्षा मण्डल एवं व्यवस्थापिका समिति के मंत्रित्वेन सभा न्यायःलय सम्बन्धी पत्रों पर हस्ताक्षर करना और मन्डल के उद्देश्यों, नीति अथवा हितों के रक्षार्थ न्यायालय सम्बन्धी सभी कार्यवाही का संचालन, संवरण, समझौता आदि करना ।

६. श्री धर्मसंघ शिक्षा मण्डल ट्रस्ट से सभी आय स्थिर चल सम्पत्ति

तथा अन्य [illegible] व्यवहारों का विवरण व पत्र करना और वार्षिक [illegible] समिति में आय व्यय के अवसर पर [illegible] करना ।

७. अपने कर्तव्यों, अधिकारों में से उपमन्त्री अथवा सहायक मन्त्री को कार्यक्षेत्र सौंपना तथा उनके कार्यों का निरीक्षण करना ।

८. शिक्षा मण्डल के उद्देश्यों, नीति अथवा हित स्वत्व की रक्षा, वृद्धि अथवा [illegible] करना तथा अध्यक्ष अथवा संस्थापक के आदेशों का अथवा सर्वोच्च समिति के आदेशों का पालन करना ।

९. मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त अधिकार और कर्तव्य उपाध्यक्ष में निहित रहेंगे जो आवश्यकतानुसार उन्हें स्वयं कार्य रूप में कार्यान्वित करेंगे अथवा सहायक मन्त्री उपमन्त्री द्वारा कार्यान्वित करा सकेंगे ।

उपमन्त्री, सहायक मन्त्री—

सहायक मन्त्री के अधिकार क्षेत्र का निश्चय अध्यक्ष के परामर्श से व्यवस्थापिका समिति करेगी । इनका निर्वाचन व्यवस्थापिका समिति द्वारा सामान्यतः दो वर्ष के लिए होगा और मन्त्री द्वारा दिए गए कार्य नियोगों का पालन और उनकी देखरेख तथा अनुशासन में कार्य करना तथा मण्डल के उद्देश्य, नीति, हित स्वत्व की रक्षा, वृद्धि और कार्यान्वियन के लिए सुझाव देना इनका कर्तव्य होगा । सहायक मन्त्री इनकी देखरेख में इनकी सहायता करेंगे ।

कोषाध्यक्ष—

१. अध्यक्ष द्वारा सामान्यतया ३ वर्ष के लिये नियुक्त होंगे ।

कर्तव्याधिकार—

२. पदेन ट्रस्ट के सदस्य रहेंगे ।

३. ट्रस्ट बोर्ड में संचित तथवा उपार्जित सब प्रकार के कोष, द्रव्यों तथा स्थिर चल सम्पत्ति के संरक्षण का निरीक्षण करना तथा उनका विधिवत् विवरण रखना और उससे व्यवस्थापिका समिति को अवगत कराना।

४. मण्डल में आने वाले चन्दे, दान, सहायता तथा अन्य द्रव्यों को प्राप्त करना और उसे ट्रस्ट में जमा कराना तथा उसकी आवश्यक रसीद सम्बद्ध व्यक्ति को देना।

५. मण्डल के सामान्य आय-व्ययार्थ उपयुक्त अर्थकी सुविधा ट्रस्ट बोर्ड द्वारा करवाना।

६. वार्षिक अधिवेशन के समय मंत्री को समस्त चर सम्पत्ति एवं आय व्यय का विवरण देना तथा आय पत्रक बनाने में सहायता देना।

७. मण्डल के कोष, सम्पत्ति एवं आय की वृद्धि के लिए उपाय सोचना उन्हें कार्य रूपमें परिणत करना तथा इस सम्बन्ध में सर्वोच्च समिति व्यवस्थापिका समिति एवं ट्रस्ट बोर्ड संस्थापक एवं अध्यक्ष के आदेशों का पालन करना।

८. मण्डल की ओर से न्यायालय सम्बन्धी सभी कार्यवाही, अभियोग सचालन, उत्तरदान, समझौता तथा वकील नियुक्त करना और अभिलेख पत्रों पर हस्ताक्षर करना तथा अन्य सभी प्रकार की न्यायालय सम्बन्धी कार्यवाहियों का संचालन अथवा संवरण करना।

ट्रस्ट बोर्ड—

मण्डल की सर्वविध सम्पत्ति की सुरक्षा, सुव्यवस्था और वृद्धि तथा मण्डल के आर्थिक हित के लिए व्यवस्थापिका समिति द्वारा १५ ट्रस्टियों का एक ट्रस्ट बोर्ड स्थापित होगा जो मंडल की सर्वविधि विषयों का विचार करेगा तथा आर्थिक सुरक्षा एवं समृद्ध उपायों को कार्यरूप में परिणत करेगा। ट्रस्ट का विधान स्वतंत्र रूप से निर्माण किया गया है। उसी के अनुसार ट्रस्ट बोर्ड का कार्य संचालन होगा। व्यवस्थापिका समिति में मंत्री पदेन इस ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य रहेंगे।

सम्बद्ध एवं सम्मिलित संस्थाएं

समानोद्देश्य वाली अथवा शिक्षा मंडल के उद्देश्यों को स्वीकार करने वाली एवं उनमें श्रद्धा रखने वाली शिक्षा संस्थाएं तथा अन्य धार्मिक सामाजिक संस्थाएं शिक्षा मंडल से सम्बद्ध अथवा सम्मिलित की जा सकती है। ऐसी संस्था की समितियों में व्यवस्थापिका समिति द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि सदस्य रहेगा तथा मंडल द्वारा नियुक्त निरीक्षक समय-समय पर उन संस्थाओं की रीति, नीति, पाठ्यक्रम, आर्थिक स्थिति एवं अनुशासन सम्बन्धी निरीक्षण करेगा और अपना प्रतिवेदन मंत्री महोदय को व्यवस्थापिका समिति के उपस्थापनार्थ देगा। कोई भी शिक्षा संस्था अथवा धार्मिक सामाजिक संस्था व्यवस्थापिका समिति के प्रस्ताव अथवा अध्यक्ष, संस्थापक के लिखित आदेश बिना का धर्मसंघ का नाम अपने साथ नहीं जोड़ सकेंगे और शिक्षा मण्डल की रीति, नीति, पाठ्यक्रम, परीक्षा एतत्सम्बन्धी अनुशासन की अवहेलना के कारण उपसंस्था का नाम हटाया जा सकता है। किन्तु ऐसा करने से पूर्व उक्त संस्था को स्थिति स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाएगा।

सामान्य नियम और निर्देश

१. मृत्यु, कार्यालय अमापित, त्यागपत्र अथवा अध्यक्ष द्वारा निलम्बन, पदच्युति किसी कारण से स्थान रिक्तता, ऐसे पद तथा सदस्य का स्थान रिक्त होने पर उनकी पूर्ति उसी पद्धति से यथासम्भव शीघ्र होगी जिस मार्ग से पूर्व निर्वाचन नियुक्ति हुई हो किन्तु इस कारण से किसी समिति अधिवेशन की कार्यवाही अवैध अनियमित न होगी। ऐसे पदाधिकारी सदस्य को पुनः निर्वाचित नियुक्त किया जा सकेगा।

२. केवल वयस्क श्रुति, स्मृति, पुराण, प्रतिपादित सनातन धर्म के अनु-

यायी संस्थापक एवं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं मंत्री द्वारा अनुमोदित किए जाने पर तथा मण्डल के उद्देश्यों एवं नियमों को स्वीकृत करने पर ही इसके सदस्य हो सकेंगे।

३. सम्मिलित संस्थाओं के पदाधिकारी, सदस्य, कर्मचारी, छात्र भी धार्मिक शैक्षणिक एवं अन्य उद्देश्यों का पालन करने और अनुशासन सम्बन्धी अनुशासन भंग, अवांछनीय व्यवहार आचरण की स्थिति में मण्डल के अध्यक्ष द्वारा निलम्बित किए जा सकेंगे और उनको सिफारिश पर व्यवस्थापिका समिति द्वारा पृथक किये जायेंगे।

४. मंडल के किसी अंग समिति, सम्मिलित संस्था के विवाद और मत भेद के सम्बन्ध में सर्वोच्च समिति का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

५. मंडल, समितियों और उपसमितियों के अधिवेशन सामान्यतया अध्यक्ष मंत्री के हस्ताक्षर से आमंत्रित होंगे। अध्यक्ष महोदय विशेष अधिवेशन के निमन्त्रण के लिए मंत्री को आदेश दे सकते हैं और स्वयं आमंत्रित कर सकते हैं, विशेष परिस्थित्यानुसार किसी अन्य व्यक्ति को एतदर्थ नियुक्त कर सकते हैं।

अधिवेशन की सूचना डाक प्रमाणपत्र पूर्वक दी जायगी और वही इसका प्रमाण होगा। किसी सदस्य को सूचना प्राप्त न होने से किसी बैठक की कार्यवाही अवैध नहीं होगी किन्तु ऐसी स्थिति में सूचना भेजने का प्रमाण आवश्यक होगा।

६. मंडल के उद्देश्य अध्यक्ष की अनुमति बिना सर्वथा अपरिवर्तनीय होंगे किन्तु शेष नियमों में व्यवस्थापिका समिति दो तिहाई मत से परिवर्तन संशोधन कर सकती है किन्तु ऐसे संशोधन की स्वीकृति भी सर्वोच्च समिति द्वारा अनिवार्य होगी और बिना ऐसी स्वीकृति के ये संशोधन कार्यान्वित नहीं किए जाएंगे।

७. मंडल की समस्त समितियां तथा सम्मिलित संस्थाएं शिक्षा मण्डल के इन उद्देश्यों के नियमों के अविरुद्ध अपने कार्य सञ्चालन नियमोपनियमों का बना सकती हैं किन्तु ऐसे उपनियमों की स्वीकृति सर्वोच्च समिति द्वारा प्राप्त करना आवश्यक होगा।

८. किसी समिति के साधारण विशेष अधिवेशनों की सूचना विधिवत् स्थान समय तिथि और कार्यसूची के निर्देश के साथ नियत समय में पूर्व दी जायगी किन्तु कोई अन्य आवश्यक विषय सभापति की अनुमति से अधिवेशन के पूर्व सूचना के बिना भी निर्णयार्थ उपस्थित किये जा सकेंगे।

९. पूरक विषय सूची—विशेष आवश्यक विषय अध्यक्ष द्वारा और अध्यक्ष के आदेश मन्त्री द्वारा अन्य एतदर्थ अधिकृत व्यक्ति द्वारा पूरक विषय सूची के रूप में भी सदस्यों के सूचनार्थ भेजे जा सकेंगे और ऐसी सूचना के लिए न्यूनतम २४ घण्टे का समय ही आवश्यक माना जायगा।

१०. मण्डल के किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को मण्डल के नाम पर किसी प्रकार का ऋण लेने का अधिकार न होगा।

११. अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत किसी पदाधिकारी द्वारा किया गया संस्था सम्बन्धी कृत्य संस्था द्वारा किया गया जायगा और उस कार्य से होने वाली क्षति के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी न होगा जबतक कि वह क्षति उसके कूट व्यवहार जानबूझ कर कर्तव्योपेक्षा से सिद्ध न हो।

१२. संस्था का कोई अधिकारी और सदस्य संस्था के किसी दूसरे पदाधिकारी सदस्य के किसी कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा यदि उसका व्यक्तिगत सहयोग उस कार्य में न रहा हो।

१३. उद्देश्य, विधान, नियमोपनियमों को सर्वथा अंशत: स्थगन रद्द

करने और किसी समिति संस्था, पदाधिकारी, सदस्य, कर्मचारी, छात्र को स्थगित भंग, पदच्युत अधिकारच्युत, पदोन्नयन, पदावनयन, पृथक्करण, निलम्बन और स्वरूप एवं अधिकार तथा कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, संकोच और परिवर्द्धन के लिए व्यवस्थापिका समिति को भेज देने का सम्पूर्णाधिकार अध्यक्ष को प्राप्त होगा। अध्यक्ष की इच्छा से व्यवस्थापिका समिति का कोई भी निर्णय और अन्य विषय सर्वोच्च समिति के निर्णयार्थ सौंपा जा सकता है किसी विशेष परिस्थिति में समस्त समितियों एवं मण्डल का पूर्णाधिकार और प्रबन्ध सर्वोच्च समिति को सौंपा जा सकता है जिसका निर्णय मण्डल के सभी अंगों पर पूर्णतः मान्य होगा।

१४. सील मुहर— श्री धर्मसंघ शिक्षा मण्डल की एक सील मुहर रहेगी मंत्री के संरक्षण में रहेगी, अध्यक्ष की आज्ञा से इसका प्रयोग किया जायगा और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षरित एवं मण्डल की सील द्वारा मुद्रांकित सभी कागज पत्र अभिलेख मण्डल द्वारा प्रमाणित माने जायेंगे।

उपर्युक्त नियमावली के स्वीकार होने के बाद वर्तमान व्यवस्थापिका समिति व अन्य समितियाँ भंग हो जाएगी और इस नियमावली के अनुसार नई व्यवस्थापिका समिति व अन्य समितियों का संगठन यथा शीघ्र अध्यक्ष एवं संस्थापक द्वारा किया जायेगा। जब तक पूरी व्यवस्थापिका समिति व अन्य समितियों का संगठन न हो जाय उनके सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष एवं संस्थापक में निहित समझे जायेंगे।

———

दिनांक………………

श्री मन्त्री,
श्रीधर्मसंघ शिक्षा मण्डल,
दुर्गाकुण्ड, काशी।

प्रिय महोदय,

श्री धर्मसंघ शिक्षा मण्डल का संक्षिप्त परिचय नाम की पुस्तिका प्राप्त हुई। शिक्षा मण्डल की स्थापना अत्यन्त सुन्दर एवं पुनीत उद्देश्यों को लेकर की गयी है। मैं इसके लिए निम्न-लिखित सहायता प्रेषित कर रहा हूँ।

भवदीय,

हस्ताक्षर

पता………………

मासिक सहायता रुपया………………………………

मिती………… सं०………………

वार्षिक सहायता रुपया……………… संवत्…………

एकमुश्त सहायता………………………………

छात्र वृत्ति………………………………

भवन निर्माण………………………………

अन्य आवश्यक सहायता………………………………